**संख्या-13/1132/26-2-2014**

प्रेषक,

के0 राम मोहन राव,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 11 सितम्बर, 2014

विषयः- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि विषयक शासनादेश दिनांक 03.09.2013 में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1881/26-2-2013, दिनांक 03.09.2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें त्रुटिवश आकस्मिक मृत्यु शब्द का उल्लेख हो गया है।

2- अतः उक्त शासनादेश में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त शासनादेश दिनांक 03.09.2013 में जहाँ कही **''आकस्मिक मृत्यु''** का उल्लेख है, के स्थान पर केवल **''मृत्यु''** पढ़ा जाय।

3- उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शेष यथावत् रहेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-3-2093/दस-14, दिनांक 11.09.2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

के0 राम मोहन राव
सचिव।

**पृ0सं0-1132(1)/26-2-2014 तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
3- समस्त संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
4- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
5- निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि यह शासनादेश समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को ई-मेल के माध्यम से कृपया आज ही भिजवाने का कष्ट करे।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3, समाज कल्याण अनुभाग-1/3 उ0प्र0 शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राज कुमार त्रिवेदी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in